उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

पत्रांक– 3073/20/डी0आर0/डिग्री/सेवा–2/2011–12,
दिनांक :: 06 सितम्बर, 2013

विज्ञप्ति

आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या– **04/ डी0आर0/डिग्री/सेवा–02/ 2011–12, दिनांक 04.12.2011,** द्वारा **असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान)** विषय के अन्तर्गत उपविषय इलैक्ट्रोनिक्स के 12 पद, एस्ट्रो– फिजिक्स के 06 पद एवं सोलिड स्टेट फिजिक्स के 05 पद विज्ञापित किये गये थे। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1818/XXIV(7)/ 2013–58(1)2008, दिनॉक 27 जून, 2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों द्वारा स्नात्कोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दिये जाने के कारण भौतिक विज्ञान विषय में विशिष्टीकरण परिवर्तित हो गये हैं। अतः पूर्व में संसूचित उपविषयों के अनुसार विशिष्टीकरण का औचित्य नहीं रह गया है। अतः शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचन में **भौतिक विज्ञान विषय हेतु विज्ञापित कुल 23 पदों हेतु कराये जाने वाले चयन में भौतिक विज्ञान विषय के सभी उप विषयों (Specialisation) के अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाना है।**

अतः उक्त के क्रम में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **पूर्व प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 04.12.2011 में उल्लिखित शर्तो/प्राविधानों के अनुसार ही भौतिक विज्ञान के सभी उपविषयों (Specialisation) के अभ्यर्थियों से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान) विषय हेतु पुनः निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व विज्ञापन के सापेक्ष असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान) पद हेतु आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।** आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की **अंतिम तिथि दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 के अपराह्न 06.00 तिथि बजे** तक निर्धारित है। असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान) पद हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं पूर्व विज्ञापन दिनांक 04.12.2011 आयोग की वेबसाईट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान) श्रेणी 'क' के पदों पर चयन हेतु पुनर्विज्ञापन

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि– 03 अक्टूबर, 2013

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि– 06 सितम्बर, 2013

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या– **04/ डी0आर0/डिग्री/सेवा–02/ 2011–12, दिनांक 04.12.2011,** द्वारा **असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान)** विषय के अन्तर्गत उपविषय इलैक्ट्रोनिक्स के 12 पद, एस्ट्रो– फिजिक्स के 06 पद एवं सोलिड स्टेट फिजिक्स के 05 पद विज्ञापित किये गये थे। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1818/XXIV(7)/ 2013–58(1)2008, दिनॉक 27 जून, 2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों द्वारा स्नात्कोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दिये जाने के कारण भौतिक विज्ञान विषय में विशिष्टीकरण परिवर्तित हो गये हैं। अतः पूर्व में संसूचित उपविषयों के अनुसार विशिष्टीकरण का औचित्य नहीं रह गया है। अतः शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अधियाचन में **भौतिक विज्ञान विषय हेतु विज्ञापित कुल 23 पदों हेतु कराये जाने वाले चयन में भौतिक विज्ञान विषय के सभी उप विषयों (Specialisation) के अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाना है।**

उक्त के संदर्भ में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि **असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान)** के रिक्त पदों पर चयन हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 04.12.2011 में उल्लिखित शर्तों/प्राविधानों के अधीन ही भौतिक विज्ञान के सभी उपविषयों (Specialisation) के अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन पत्र प्राप्त कर लिये जायें। साथ ही **जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व विज्ञापन के सापेक्ष असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान) पद हेतु आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन नहीं करना है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त पद पर चयन हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या–04/डी0आर0/डिग्री/सेवा–02/2011–12, दिनांक 04.12.2011 के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 04 जनवरी, 2012 तक अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक अर्हता अवश्य धारित करते हों।**

अतः **असिस्टेन्ट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान)** के रिक्त पदों पर चयन हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों/प्राविधानों के अधीन ही विज्ञापन के अन्त में 'परिशिष्ट–1' में मुद्रित प्रारूप पर मोटे फुल स्केप कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।**

क्र.सं0	विषय	अनुसूचित जाति(SC)	अनु0जनजाति (ST)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनारक्षित (GEN)	कुल पद
01	भौतिक विज्ञान	10	01	02	10	23

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए निम्नांकित विवरणानुसार 01पद आरक्षित है :–

विषय	आरक्षित श्रेणी	विकलांगता श्रेणी
भौतिक विज्ञान, (एक पद)	अनारक्षित	पी0डी0(आंशिक बधिर)

(2) **वेतनमान** :– ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 6000/–

(3) **पद का स्वरूप** :– राजपत्रित/स्थाई/अस्थाई (अस्थाई पदों के आगे भी चलते रहने की सम्भावना है)/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(4) **(क) आयु सीमा** :–21 से 35 वर्ष, किन्तु –उ0अनु0जाति/उ0अनु0जनजाति/उ0अ0पि0व0/उ0विकलांग/उ0पूर्व सैनिक/उ0रा0आ0 को विज्ञापन के बिन्दु संख्या– 08 के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य है।

(i) विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ताओं को विज्ञापन के बिन्दु संख्या–05 (ग) के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य है।

(ख) <u>आयु सीमा की गणना के लिये नियत तिथि</u>– 01 जुलाई, 2011

<u>महत्त्वपूर्ण निर्देश</u>

<u>अवश्य पढ़े एवं तद्नुसार कार्यवाही करें :–</u>

1. अभ्यर्थी अपने उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन परम्परागत आवेदन पत्र के **कॉलम– 10** में अवश्य करें। आवेदन पत्र पर आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा एस.एल.पी.(सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2010 के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग की सन्निरीक्षा नियमावली के अनुरूप संपादित की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. **<u>उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर (विजिटिंग लैक्चरर से आशय शैक्षिक सत्र 2001–02 से शैक्षिक सत्र 2010–11 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित अभ्यर्थियों से है तथा जो वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं)/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन पत्र के कॉलम 17 में सही–सही अंकन करें तथा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।</u>**
3. **<u>अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ आवेदित पद हेतु अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबन्धित समस्त सेमेस्टर/वर्षों के अंक पत्र/प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।</u>**
4. अभ्यर्थी परम्परागत आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
5. अभ्यर्थी की पद हेतु पात्रता/अर्हता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
6. **<u>अभ्यर्थी विज्ञापन के बिन्दु संख्या–11 एवं 13 में उल्लिखित निर्देशों का पालन अवश्य करें।</u>**
7. **आवेदन पत्र के कॉलम–14 में अभ्यर्थी द्वारा यदि प्राप्तांकों की गणना ग्रेड में हो तो अंकतालिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम अंकों (प्रतिशत) को दर्शाना अनिवार्य है, ग्रेड गंणना को प्रतिशतता में परिवर्तन करने हेतु लागू फॉर्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र परिशिष्ट–2 के संलग्नक–(B) के प्रारूप पर अवश्य संलग्न करें। नेट अभ्यर्थियों को छोड़ कर पीएच0डी0/डी0फिल के समस्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट–2 के संलग्नक–(A) के प्रारूप पर प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**
8. विज्ञापन संख्या–**04/डी0आर0/डिग्री/सेवा–02/2011–12, दिनांक 04.12.2011** आयोग की वेबसाईट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(5) <u>शैक्षिक अर्हतायें</u> :–(क) अनिवार्य अर्हतायें जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बाते सम्मिलित हैं–

1. कला संकाय (ललित कला, शिक्षा एवं विधि संकाय के सिवाय) वाणिज्य एवं **<u>विज्ञान संकाय</u>** में सुसंगत विषय में अनु0जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत तथा अन्य अभ्यर्थियों के कम से कम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समतुल्य उपाधि और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।
2. (अ) NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Assitant Professor. However, candidates ,who are, or have been awarded a **<u>Ph.D degree in accordance with the U.G.C.(minimum standards and procedures for award of Ph.D Degree) Regulation 2009</u>**

shall be exempted from NET. NET shall not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET is not conducted.

(ब) ऐसे उम्मीदवार जिनके द्वारा **01 जून 2002 से पहले लेक्चररशिप के लिये यू0जीसी0 द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा SLET (स्लेट) उत्तीर्ण** कर ली है, उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्राप्त है। जून 2002 में या उसके बाद होने वाली स्लेट परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उसी राज्य के विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में असिस्टैन्ट प्रोफेसर पद के लिये आवेदन के पात्र होगें, जिस राज्य की स्लेट परीक्षा उनके द्वारा उत्तीर्ण की हो।

3. **उत्तम शैक्षणिक अभिलेख का अर्थ**– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में असिस्टैन्ट प्रोफेसर पद हेतु निम्नांकित अभ्यर्थी "उत्तम शैक्षणिक अभिलेख" का धारक माना जायेगा :–

(क) सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए "उत्तम शैक्षणिक अभिलेख" निम्नवत होंगे :–

"सुसंगत स्नातक उपाधि में **न्यूनतम 50 प्रतिशत** प्राप्तांक"

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए "उत्तम शैक्षणिक अभिलेख" निम्नवत होंगेः–

"सुसंगत स्नातक उपाधि में **न्यूनतम 45 प्रतिशत** प्राप्तांक"।

(ख) <u>अधिमानी अर्हतायें यदि कोई हो</u>– अन्य बातों के समान होने पर निम्न में अधिमान दिया जायेगा।

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
2. राष्ट्रीय कैडिट कोर (एन0सी0सी) का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
3. संगोष्ठियों, खेलकूद और अन्य पाठयानुवर्ती कार्यकलापों में <u>उच्च स्तर की प्रवीणता</u> प्रदर्शित की हो।

(ग) <u>अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त में नहीं है</u>– उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली 2011 के नियम 9(घ) तथा 9(च) के अनुसार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अधिकतम 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते की विजिटिंग/अंशकालिक प्रवक्ता, पद पर कार्यरत अभ्यर्थी शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो। उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008 के नियम 10(ख) के अनुसार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता को जो विहित अर्हता पूर्ण करते है, अधिकतम आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी पद हेतु आवश्यक हो, बशर्तें कि विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ता की आयु इस रूप में पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के अंतर्गत रही हो।

(6) <u>अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश :–</u>

(1) अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

(2) अभ्यर्थियों को हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है।

(3) <u>राष्ट्रीयता–</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारतीय नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानियॉ और जंजीबार) प्रवजन किया हो : परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

(7) <u>वैवाहिक प्रास्थिति</u> :–

(अ) वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी सेवा नियमावली में उल्लिखित शब्द – ऐसा कोई पुरुष/स्त्री

(i) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हों,

या

(ii) जिसका पति/पत्नी जीवित होते हुए, उसने किसी अन्य स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो। उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

<u>(8) उच्चतम आयु सीमा में छूटः–</u>

(1) शासनादेश संख्या– 1399/XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग के निवासी/अधिवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य।

(2) शासनादेश संख्या– 1244/XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष अधिक होगी। उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य।

(3) शासनादेश संख्या– 22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य।

(4) शासनादेश संख्या– 1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 तथा शासनादेश संख्या– 776/XX(4)/26/उ0आंदो0/2006–08 (गृह अनुभाग–04) दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्याः 637/XX(4)–26/उ0आ0/2006 दिनांक 13.08.2010 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष अनुमन्य।

<u>टिप्पणी :–</u> 1– विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस–जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

2– आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

<u>(9) आरक्षण</u> :–

(1) <u>ऊर्ध्वाधर आरक्षणः–</u> उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा (शासनादेश संख्याः 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्याः 254/कार्मिक–2/2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002)।

(2) <u>क्षैतिज आरक्षण</u>ः–(क) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग,** उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** तथा उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (यथा संशोधित)–अधि0सं0ः 133/XXXVI(3)/2009/14(1)/2009, दिनांक 16 मार्च, 2009 के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित् होगा।

<u>टिप्पणी :–</u>विकलांग/निःशक्त आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता/निःशक्तता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

<u>"स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित"</u> से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के –(एक) पुत्र और पुत्री विवाहित या अविवाहित (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ख)उत्तराखण्ड के **विशिष्ट खिलाड़ियों** के लिए क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्याः 2461/XXX(2)/2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 व शासनादेश संख्याः 136/XXX(2)/2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। **मान्यता प्राप्त खेल एवं मान्य खिलाड़ियों के वर्गीकरण की सूची उक्त शासनादेश से अवलोकित करने के पश्चात ही इस श्रेणी में अपने आरक्षण का दावा करें।**

(ग) **उत्तराखण्ड की महिलाओं** को क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्याः1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001, शासनादेश संख्याः 589/कार्मिक–2/2002, दिनांक 21 जुलाई, 2002 तथा शासनादेश संख्याः 1966/XXX (2)/2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(घ) शासनादेश संख्याः 1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त,2004, एवं शासनादेश संख्याः 637/XX(4)–26/उ0आ0/2006 दिनांक 13.08.2010 के अनुसार चिन्हित **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को** राजकीय सेवा में अधितम 50 वर्ष की आयु तक तथा शासनादेश संख्या–1739/बीस–4/2011– 26/उ0आ0/2006 दिनांक 05 अगस्त, 2011 के अनुसार शासनादेश संख्या–777/XX(4)– 26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22. अक्टूबर, 2008 के अनुसार चिन्हित सभी राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

शासनादेश संख्याः 4020/XX (4)–7/उ0आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गए अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों में से **निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य,** जो आन्दोलनकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो, को शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त 2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगाः–

(1) वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं हैं। (2) ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम है। (3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य, को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणी मे ंआने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ–पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि संबंधी विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

उक्त श्रेणी के चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित हैं, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे– (1) पत्नी (2) आश्रित पुत्र (3) अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां।

<u>नोट :–</u>(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक ऊर्ध्व श्रेणी के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण, उत्तराखण्ड महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 03%, (विकलांगता की तीनों श्रेणियों हेतु 1–1 प्रतिशत) उत्तराखण्ड के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10%, अनुमन्य होगा।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, विशिष्ट खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित तथा महिला श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान समझे जाएंगे।

(4) आरक्षण संबंधी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों के प्रारुप का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(10) आवेदन कैसे करें :–

अभ्यर्थी इस विज्ञापन के 'परिशिष्ट–1' में निर्दिष्ट परम्परागत आवेदन पत्र को टंकित अथवा मुद्रित कराकर आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भों को पूर्ण करते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित ''सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 249404'' को किसी भी माध्यम से (बैरंग माध्यम को छोड़कर) प्रेषित कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय के डाक काउन्टर पर स्वयं भी जमा कर सकते हैं। परन्तु प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 को सायं 06 :00 बजे तक आयोग कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। डाक विभाग द्वारा किये गये किसी विलम्ब के लिए आयोग कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फैक्स द्वारा प्रेषित आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(11) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख अवश्य होने चाहिये अन्यथा अनुमन्य लाभ/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा :–

निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटो स्टेट प्रतियॉ :–

1. हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अंकपत्र/प्रमाण पत्र।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्षो/सेमेस्टरों की अंक–तालिका एवं डिग्री।
3. (क) आवेदित पद हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु समस्त अंकपत्र एवं डिग्री/प्रमाण पत्र।

(ख) उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता का लाभ अनुमन्य नही होगा।

(ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान की पुष्टि हेतु मूल बैंक ड्राफ्ट।

(घ) फार्मेट पर चिपका हुआ एक स्वसत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।

(च) शारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों के आरक्षण के विषय में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के क्रम में विभिन्न श्रेणी के विकलांगों को आरक्षण निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र के आधार पर।

(छ) पूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/उ0 रा0आ0/आश्रित की पुष्टि में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना अपेक्षित होगा।

(ज) वर्गीकृत खेलों से संबन्धित शासनादेश संख्याः 2461/XXX(2)/ 2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 व शासनादेश संख्याः 136/XXX(2)/2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

(झ) किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस0डी0एम0/तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक–2/2002, दिनांक 29 मार्च, 2003 में निर्धारित किया गया है।

(12) **शुल्क** : प्रत्येक अभ्यर्थी से आवेदन–पत्र के साथ परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹130/–(₹ 100/– परीक्षा शुल्क + ₹ 30/– डाक शुल्क) है। किन्तु उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये ₹ 90/– (₹ 60/– परीक्षा शुल्क + ₹30/– डाक शुल्क) है। उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी, महिला व उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये शुल्क उनकी श्रेणी के आरक्षित वर्ग के समतुल्य है। **शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आहरित एवं निर्गत एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा प्रेषित जो "सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को हरिद्वार में देय हो"** स्वीकार किया जायेगा। **अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम तथा पता अवश्य लिखें।** अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(13) अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश:–

(1) अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) अभ्यर्थियों को हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है।

(3) आवेदन पत्र के साथ 23X10 सें0मी0 आकार के **दो लिफाफे** जिस पर पद का नाम (विषय सहित) तथा विज्ञापन संख्या अंकित हो तथा पूरा पता लिखा हो, भेजे जाने चाहिए। **(अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर डाक टिकट चस्पा न करें)**

(4) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता। साक्षात्कार तिथि की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

(5) विज्ञापन के फलस्वरूप विषयवार अधिक आवेदन पत्र आने पर स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

(6) स्क्रीनिंग टेस्ट कराये जाने की दशा में जिला हरिद्वार में स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर ही परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक पद्धति अपनायी जायेगी।

(7) मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता साक्षात्कार के समय जॉच के लिए होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहॉ उन्होंने शिक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के 02 फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(8) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हो, साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(9) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए अतः वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तो के अनुसार अर्ह हैं।

(10) उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के रुप में उसके कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो।

(11) साक्षात्कार परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो जाएं कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(12) किसी अनाचार अथवा कदाचार का दोषी पाये जाने पर आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण आयोग की वेबसाइट–**www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(13) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर भी सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

(14) अभ्यर्थी का यथा–स्थान हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा मानक नियम के अधीन किया जायेगा, जिसका विवरण आयोग की वेब साइट-www.ukpsc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

(15) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के संबन्धित कॉलम में पिन कोड का उल्लेख अवश्य करें।

(16) **लोक सेवा आयोग परिसर में अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन/संचार तंत्र का प्रयोग प्रतिबन्धित है।**

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव

राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर(भौतिक विज्ञान) पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

नोटः– जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 04.12.2011 के सापेक्ष आवेदन किया गया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 03 अक्टूबर, 2013

आवेदन शुल्क का विवरण (**मूल भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट**) :–

बैंक ड्राफ्ट/आई.पी.ओ. का नम्बर एवं जारी करने की तिथि	बैंक/डाकघर का नाम स्थान/ जिला सहित	धनराशि	कार्यालय की टिप्पणी

केवल वक्ष तक की एक नवीनतम पासपोर्ट फोटो स्वयं यहॉ पर चिपका दें और तिथि सहित अपना हस्ताक्षर भी करें।

1. विज्ञापन संख्या ....
2. आवेदित पद का नाम :..
3. आवेदित पद के विषय का नाम :..
4. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
   (1) हिन्दी में ....
   (2) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)...
5. पिता/पति का नाम श्री...
6. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)...
7. आयु 01 जुलाई, वर्ष, 2011 को –

वर्ष		माह		दिन	

8. क्या आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक आप आवेदित पद के लिए पूर्ण अर्हता रखते हैं? हाँ/नहीं..............
9. क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं

10 यदि "हाँ" तो आरक्षण की जिस श्रेणी का लाभ चाहते हैं, नीचे दिये गये बॉक्स (Box) में ✓ का निशान लगायें (आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के दावे की पुष्टि में नवीनतम शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां अवश्य संलग्न करें)

अ. आरक्षण की श्रेणी जिसका लाभ चाहते हैं (स्पष्ट उल्लेख करें) :...

ब. आरक्षण की श्रेणी जिसका लाभ चाहते हैं :–कृपया ✓ का निशान लगायें

उत्तराखण्ड अनु0जा0	उत्तराखण्ड अ0ज0जा0	उत्तराखण्ड अन्य पि0व0	उत्तराखण्ड स्व0सं0से0	उत्तराखण्ड विकलांग* (अंधापन / बधिर / शारीरिक–निशक्तता)	उत्तराखण्ड सैन्य विनियोजित/पूर्व सैनिक

उ0 महिला	उ0 कुशल खिलाड़ी	उ0 राज्य आंदोलनकारी	उ0 राज्य आंदो0के आश्रित

* विकलांग अभ्यर्थी अपनी विकलांगता से संबन्धित श्रेणी को ही चिन्हित ✓ करें। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में आरक्षण हेतु किये गये दावों की पुष्टि में सभी प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक होगें, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

11. (क) स्थाई पता (पिन कोड का उल्लेख अवश्य करें) – ....

....

.... पिन कोड ....

(ख) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (पिन कोड का उल्लेख अवश्य करें) –..

....

....

....पिन कोड...

(ग) फोन नं0./मो. नं0... (पता परिवर्तन होने की सूचना तत्काल दें)

12. क्या आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवारित (Debar) किये गये है ? यदि हाँ, तो करण एवं अवधि का उल्लेख करें ....

13. क्या अभ्यर्थी ने अपना पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड तथा अपना पता लिखे हुए 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे संलग्न किये हैं? उत्तर हां या नहीं में अंकित करें ....

14. शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण :–

	वर्ग/संकाय	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	बोर्ड/वि0वि0
1. हाई स्कूल 2. इण्टरमीडिएट 3. स्नातक 4. स्नातकोत्तर 5. नेट 6. पीएच.डी. 7. स्लेट (यदि 01 जून, 2002 से पूर्व हो) 8. अन्य							

नोट : (1) सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के सभी वर्षों/सेमेस्टरों की अंकतालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) यदि गणना ग्रेड में हो तो अंकतालिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम अंकों (प्रतिशत) को दर्शाना अनिवार्य है, ग्रेड गंणना को प्रतिशतता में परिवर्तन करने हेतु लागू फॉर्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें। (परिशिष्ट 2 के संलग्नक (B) के अनुसार)

(3) NET अभ्यर्थियों को छोड़कर पीएच0डी0/डी0फिल0 के समस्त अभ्यर्थी परिशिष्ट 2 के संलग्नक (A) पर उपलब्ध प्रारूप पर प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

15. अन्य विवरण (यदि कोई हो) :...

....

16. विज्ञापन के बिन्दु –05 (ख) में उल्लिखित अनिवार्य/अधिमानी अर्हताओं संबंधित अन्य विवरण (यदि कोई हो) अभ्यर्थी अपने दावे के सम्बन्ध में प्रमाण सहित विवरण दें..

17. (क) क्या अभ्यर्थी वर्तमान में उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है :– हाँ/नहीं...

(ख) यदि 'हाँ' तो अभ्यर्थी निम्न कॉलम में उक्त तिथि का उल्लेख करें जब से अभ्यर्थी विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा है (सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा लाभ अनुमन्य नहीं होगा)–

वर्ष				माह		दिन	

18. अनुभव का विवरणः–

पदनाम	वेतनमान	सेवावधि (प्रारम्भ से अब तक)	कुल अनुभव	वि.वि./महा.वि. /संस्था का नाम	सरकारी/गैर सरकारी	अन्य

<u>घोषणा</u>

1. मै एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्तें सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं। यह मुझे मान्य है और मैं वह शर्तें पूरी करता/करती हूँ ।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं और मैने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पाई जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया गया हो तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति पाये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये।

3. मै उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार का नियमित/स्थायी कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ और मैने अपना आवेदन भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांक ....को विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।

4. मैने इस आवेदन पत्र में किये गये विभिन्न दावों के समर्थन में वांछित प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी हैं, इनमें कोई भी कमी पाये जाने पर आयोग द्वारा मेरे अभ्यर्थन के संबंध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

संलग्नकों की संख्या –

1. अंकों में ....
   शब्दों में ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा)

2. विवरण....................................

दिनांक ....
स्थान ....

राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु वांछित प्रमाण पत्र

संलग्नक (A)

NET अभ्यर्थियों को छोड़कर पीएच0डी0 / डी0फिल0 के समस्त अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य

Ref. No.- **Date:-**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .... इस विश्वविद्यालय / संस्थान में विषय / उपविषय (Subject/Branch)... में पीएच0डी0 / डी0फिल0 हेतु पंजीकृत थे / थी, जिनका / जिनकी शोधप्रबन्ध का शीर्षक(Topic)............... ....है। इनका / इनकी पंजीकरण संख्या .... है तथा पीएच0डी0 / डी0फिल0 की उपाधि वर्ष .... में प्रदान की गयी है।

इस विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा पीएच0डी0 / डी0फिल0 की उपाधि 'UGC (Minimum standards and Procedure for Award of Ph.D Degree) Regulation 2009' के मानकों के अनुरूप प्रदान की गयी है।

कुलसचिव

राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु वांछित प्रमाण पत्र

संलग्नक (B)

स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक पत्र में ग्रेडिंग प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य

Ref. No.- **Date:-**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .... इस विश्वविद्यालय / संस्थान में विषय / उपविषय (Subject/Branch) ....में स्नातक / स्नातकोत्तर हेतु पंजीकृत थे / थी, जिनका / जिनकी पंजीकरण संख्या .... है।

इस विश्वविद्यालय / संस्था द्वारा स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र में प्रदान किये गये ग्रेडिंग को प्रतिशत अंक में परिवर्तन का सूत्र .... है। स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा में ग्रेडिंग के समतुल्य प्राप्तांक .... प्रतिशत है।

कुलसचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर श्रेणी 'क' के पदों पर चयन हेतु

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि–04 जनवरी, 2012

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि–04 दिसम्बर, 2011

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्नानुसार वर्णित रिक्त पदों के लिए विज्ञापन के अन्त में 'परिशिष्ट–1' में मुद्रित प्रारूप पर मोटे फुल स्केप कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।**

(1) **राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर –272 पद**

क्र. सं0	विषय	अनुसूचित जाति(SC)	अनु0जनजाति (ST)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनारक्षित GEN	कुल पद
1.	हिन्दी	08	02	00	00	10
2.	अंग्रेजी	12	02	08	11	33
3.	संस्कृत	05	01	00	02	08
4.	भूगोल	04	01	00	00	05
5.	अर्थशास्त्र	09	01	06	06	22
6.	राजनीति शास्त्र	07	02	03	00	12
7.	समाज शास्त्र	06	01	02	07	16
8.	इतिहास	05	00	02	02	09
9.	बी0एड0 (प्राविधिक पाठ्यक्रम) :– क) हिन्दी ख) सामाजिक शास्त्र	01 (01) 00	00 00 00	01 00 (01)	00 00 00	02 01 01
10.	भौतिक विज्ञान :– क) इलैक्ट्रानिक्स ख) एस्ट्रोफिजिक्स ग) सोलिड स्टेट	10 (04) (03) (03)	01 (01) 00 00	02 (01) 00 (01)	10 (06) (03) (01)	23 (12) (06) (05)
11.	मनोविज्ञान	02	00	00	00	02
12.	रसायन विज्ञान :– क) कार्बनिक रसायन ख) भौतिक रसायन ग) अकार्बनिक रसायन	11 (04) (03) (04)	02 00 (01) (01)	01 (01) 00 00	06 (05) (01) 00	20 (10) (05) (05)
13.	जन्तु विज्ञान	08	02	05	07	22
14.	गृह विज्ञान	02	01	00	00	03
15.	वनस्पति विज्ञान	07	02	00	03	12
16.	गणित	10	02	03	09	24
17.	वाणिज्य	10	02	04	04	20
18.	भूगर्भ विज्ञान	01	00	01	01	03
19.	विधि	01	00	01	03	05
20.	चित्रकला	00	00	00	01	01
24.	सैन्य विज्ञान	01	00	00	00	01
25.	संगीत	01	00	01	00	02

क्र. सं0	विषय	अनुसूचित जाति(SC)	अनु0जनजाति (ST)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनारक्षित GEN	कुल पद
26.	सांख्यिकी	01	00	00	01	02
27.	शिक्षा शास्त्र	01	00	01	04	06
28.	शारीरिक शिक्षा	01	00	01	00	02
30.	बिजनेस एडमिनिस्टेशन	00	00	00	01	01
31.	कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन	01	00	00	00	01
32.	टूरिज्म स्टडीज	00	00	00	01	01
33.	हार्टिकल्चर	00	00	00	01	01
34.	पत्रकारिता	00	00	00	01	01
35.	बी0एस0सी0 गृहविज्ञान	00	00	00	01	01
36.	कम्प्यूटर विज्ञान	00	00	00	01	01
	कुल योग	125	22	42	83	272

निःशक्त व्यक्तियों के लिए निम्नांकित विवरणानुसार पद आरक्षित है :–

विषय	आरक्षित श्रेणी	विकलांगता श्रेणी
हिन्दी (एक पद)	अनुसूचित जनजाति	बी0 (दृष्टिहीन)
अंग्रजी (तीन पद)	अनुसूचित जाति	बी0(दृष्टिहीन)
	पिछड़ा वर्ग	बी0ए0/ओ0ए0(दोनों हाथ प्रभावित/एक हाथ प्रभावित)
	अनारक्षित	पी0डी0 (आंशिक बधिर)
रसायन विज्ञान, कार्बनिक (एक पद)	अनुसूचित जाति	पी0डी0(आंशिक बधिर)
गणित (एक पद)	अनुसूचित जाति	बी0ए0/ओ0ए0(दोनों हाथ प्रभावित/एक हाथ प्रभावित)
वाणिज्य (एक पद)	अनुसूचित जाति	बी0ए0/ओ0ए0(दोनों हाथ प्रभावित/एक हाथ प्रभावित)
भौतिक विज्ञान, इलैक्ट्रानिक्स (एक पद)	अनारक्षित	पी0डी0(आंशिक बधिर)

(2) **वेतनमान** :– ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 6000/–

(3) **पद का स्वरूप** :– राजपत्रित/स्थाई/अस्थाई (अस्थाई पदों के आगे भी चलते रहने की सम्भावना है)/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(4) **(क) आयु सीमा** :–21 से 35 वर्ष, किन्तु –

(ii) उ0अनु0जाति/उ0अनु0जनजाति/उ0अ0पि0व0/उ0विकलांग/उ0पूर्व सैनिक/उ0रा0आ0/आश्रित को विज्ञापन के बिन्दु संख्या– 08 के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य है।

(iii) विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ताओं को विज्ञापन के बिन्दु संख्या–05 (ग) के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य है।

(ख) आयु सीमा की गणना के लिये नियत तिथि– 01 जुलाई, 2011

महत्त्वपूर्ण निर्देश

अवश्य पढ़े एवं तद्नुसार कार्यवाही करें :–

9. अभ्यर्थी अपने उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन परम्परागत आवेदन पत्र के **कॉलम– 10** में अवश्य करें। आवेदन पत्र पर आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा एस.एल.पी.(सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2010 के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आवेदन पत्रों की

सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग की सन्निरीक्षा नियमावली के अनुरूप संपादित की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

10. **उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर (विजिटिंग लैक्चरर से आशय शैक्षिक सत्र 2001–02 से शैक्षिक सत्र 2010–11 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित अभ्यर्थियों से है तथा जो वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं)/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन पत्र के कॉलम 17 में सही–सही अंकन करें तथा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**

11. **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 04 जनवरी, 2012 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करते हों । अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ आवेदित पद हेतु अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबन्धित समस्त सेमेस्टर/वर्षों के अंक पत्र/प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

12. अभ्यर्थी परम्परागत आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

13. अभ्यर्थी की पद हेतु पात्रता/अर्हता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14. **अभ्यर्थी विज्ञापन के बिन्दु संख्या–11 एवं 13 में उल्लिखित निर्देशों का पालन अवश्य करें।**

15. आवेदन पत्र के कॉलम–14 में अभ्यर्थी द्वारा यदि प्राप्तांकों की गणना ग्रेड में हो तो अंकतालिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम अंकों (प्रतिशत) को दर्शाना अनिवार्य है, ग्रेड गंणना को प्रतिशतता में परिवर्तन करने हेतु लागू फॉर्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।

(5) **शैक्षिक अर्हतायें** :–(क) अनिवार्य अर्हतायें जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बाते सम्मिलित हैं–

4. (अ) कला संकाय (ललित कला, शिक्षा एवं विधि संकाय के सिवाय) वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में सुसंगत विषय में अनु0जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत तथा अन्य अभ्यर्थियों के कम से कम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समतुल्य उपाधि और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

(ब) शिक्षा संकाय में अनु0जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 50 प्रतिशत तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष श्रेणी सहित शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (अर्थात् एम0एड0 उपाधि) और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख व किसी स्कूल विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि।

(स) विधि संकाय में अनु0जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 50 प्रतिशत तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित विधि में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

(द) ललित कला विषय में अनु0जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 50 प्रतिशत तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त समकक्ष उपाधि और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

या

सम्बद्ध विषय में उच्च स्तरीय सराहनीय वृतिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वृतिक कलाकार।

(ध) व्यावसायिक प्रबंधन/प्रशासन में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए0आई0यू0/ए0आई0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 द्वारा समकक्ष घोषित दो वर्षीय पूर्णकालिक पी0जी0डी0एम0।

या

प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा संबन्धित नियामक संस्थाओं (Statutory bodies) से अर्ह व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेंट/कास्ट एण्ड वर्क एकाउन्टेंट/कम्पनी सचिव।

5. (अ) NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Assitant Professor. However, candidates ,who are, or have been awarded a Ph.D degree in accordance with the U.G.C.(minimum standards and procedures for award of Ph.D Degree) Regulation 2009 shall be exempted from NET. NET shall not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET is not conducted.

(ब) ऐसे उम्मीदवार जिनके द्वारा 01 जून 2002 से पहले लेक्चररशिप के लिये यू0जीसी0 द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा SLET (स्लेट) उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्राप्त है। जून 2002 में या उसके बाद होने वाली स्लेट परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीद्वार उसी राज्य के विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में असिस्टैन्ट प्रोफेसर पद के लिये आवेदन के पात्र होगें, जिस राज्य की स्लेट परीक्षा उनके द्वारा उत्तीर्ण की हो।

6. **उत्तम शैक्षणिक अभिलेख का अर्थ**– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में असिस्टैन्ट प्रोफेसर पद हेतु निम्नांकित अभ्यर्थी "उत्तम शैक्षणिक अभिलेख" का धारक माना जायेगा :–

(क) सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए "उत्तम शैक्षणिक अभिलेख" निम्नवत होंगे :–
"सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक"

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए "उत्तम शैक्षणिक अभिलेख" निम्नवत होंगेः–
"सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक"।

5. (ख) <u>अधिमानी अर्हतायें यदि कोई हो</u>– अन्य बातों के समान होने पर निम्न में अधिमान दिया जायेगा।

4. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
5. राष्ट्रीय कैडिट कोर (एन0सी0सी) का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
6. संगोष्ठियों, खेलकूद और अन्य पाठयानुवर्ती कार्यकलापों में <u>उच्च स्तर की प्रवीणता</u> प्रदर्शित की हो।

नोटः **01. रिक्त पदों की विवरण तालिका के क्रमांक–09 में उल्लिखित बी0एड0 (प्राविधिक पाठ्यक्रम) में सामाजिक शास्त्र विषय में स्कूल स्तर पर पढ़ाये जाने वाले मानविकी के विषयों जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, वाणिज्य इत्यादि सम्मिलित हैं।**

2. रिक्त पदों की विवरण तालिका के क्रमांक–14 में उल्लिखित गृह विज्ञान (बी0एस0सी) विषय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए शैक्षिक अर्हताओं के अंतर्गत – Home Science /Food & Nutrition / Clothing &Textiles/Family Resource Management/Family Studies/Home Science Extension विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी0 उपाधि वांछित है।

3. रिक्त पदों की विवरण तालिका के क्रमांक–08 में उल्लिखित इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए अन्य शर्तो के अतिरिक्त संबन्धित विषय (मध्यकालिन, आधुनिक, प्राचीन इतिहास) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह हैं।

4. रिक्त पदों की विवरण तालिका के क्रमांक –10 में उल्लिखित भौतिक विज्ञान तथा क्रमांक –12 उल्लिखित रसायन विज्ञान में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विशिष्टीकरण विषयों (Specialization) का उल्लेख आवेदन पत्र के क्रमांक–3 (ख) में अवश्य करें।

5. (ग) <u>अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त में नहीं है</u>– उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली 2011 के नियम 9(घ) तथा 9(च) के अनुसार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप कार्यरत अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अधिकतम 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते की विजिटिंग/अंशकालिक प्रवक्ता, पद पर कार्यरत अभ्यर्थी शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो। उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008 के नियम 10(ख) के अनुसार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता को जो विहित अर्हता पूर्ण करते है, अधिकतम आयु सीमा में उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी पद हेतु आवश्यक हो, बशर्तें कि विजिटिंग लैक्चरर तथा अंशकालिक प्रवक्ता की आयु इस रूप में पद पर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के अंतर्गत रही हो।

(6) <u>अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश :–</u>

(1) अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

(2) अभ्यर्थियों को हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है।

(3) <u>राष्ट्रीयता–</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारतीय नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानियॉ और जंजीबार) प्रवजन किया हो : परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

(7) <u>वैवाहिक प्रास्थिति</u> :–

(अ) वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी सेवा नियमावली में उल्लिखित शब्द – ऐसा कोई पुरुष/स्त्री

(i) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हों,

या

(ii) जिसका पति/पत्नी जीवित होते हुए, उसने किसी अन्य स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो। उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

<u>(8) उच्चतम आयु सीमा में छूटः–</u>

(1) शासनादेश संख्या– 1399/XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग के निवासी/अधिवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य।

(2) शासनादेश संख्या– 1244/XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष अधिक होगी। उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य।

(3) शासनादेश संख्या– 22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य।

(4) शासनादेश संख्या– 1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 तथा शासनादेश संख्या– 776/XX(4)/26/उ0आंदो0/2006–08 (गृह अनुभाग–04) दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्याः 637/XX(4)–26/उ0आ0/2006 दिनांक 13.08.2010 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष अनुमन्य।

<u>टिप्पणी :–</u> 1– विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस–जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

2– आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(9) आरक्षण :–

(1) ऊर्ध्वाधर आरक्षणः– उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा (शासनादेश संख्याः 1144 / कार्मिक–2–2001–53(1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्याः 254 / कार्मिक–2 / 2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002)।

(2) क्षैतिज आरक्षणः–(क) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग,** उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** तथा उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (यथा संशोधित)–अधि0सं0: 133 / XXXVI(3) / 2009 / 14(1) / 2009, दिनांक 16 मार्च, 2009 के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित् होगा।

टिप्पणी :–विकलांग / निःशक्त आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता / निःशक्तता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के –(एक) पुत्र और पुत्री विवाहित या अविवाहित (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ख)उत्तराखण्ड के **विशिष्ट खिलाड़ियों** के लिए क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्याः 2461 / XXX(2) / 2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 व शासनादेश संख्याः 136 / XXX(2) / 2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। **मान्यता प्राप्त खेल एवं मान्य खिलाड़ियों के वर्गीकरण की सूची उक्त शासनादेश से अवलोकित करने के पश्चात ही इस श्रेणी में अपने आरक्षण का दावा करें।**

(ग) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्याः1144 / कार्मिक–2–2001–53(1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001, शासनादेश संख्याः 589 / कार्मिक–2 / 2002, दिनांक 21 जुलाई, 2002 तथा शासनादेश संख्याः 1966 / XXX (2) / 2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(घ) शासनादेश संख्याः 1270 / तीस–2 / 2004, दिनांक 11 अगस्त,2004, एवं शासनादेश संख्याः 637 / XX(4)–26 / उ0आ0 / 2006 दिनांक 13.08.2010 के अनुसार चिन्हित **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को** राजकीय सेवा में अधितम 50 वर्ष की आयु तक तथा शासनादेश संख्या–1739 / बीस–4 / 2011–26 / उ0आ0 / 2006 दिनांक 05 अगस्त, 2011 के अनुसार शासनादेश संख्या–777 / XX(4)–26 / उ0आ0 / 2006–08 दिनांक 22. अक्टूबर, 2008के अनुसार चिन्हित सभी राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

शासनादेश संख्याः 4020 / XX (4)–7 / उ0आन्दो0 / 2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गए अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों में से **निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य,** जो आन्दोलनकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो, को शासनादेश संख्या–1270 / तीस–2 / 2004, दिनांक 11 अगस्त 2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगाः–

(1) वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं हैं। (2) ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम है। (3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य, को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणी मे ंआने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ–पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि संबंधी विभाग / प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

उक्त श्रेणी के चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित हैं, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे– (1) पत्नी (2) आश्रित पुत्र (3) अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां।

नोट :–(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक ऊर्ध्व श्रेणी के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण, उत्तराखण्ड महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 03%, (विकलांगता की तीनों श्रेणियों हेतु 1–1 प्रतिशत) उत्तराखण्ड के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10%, अनुमन्य होगा।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, विशिष्ट खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित तथा महिला श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान समझे जाएंगे।

(4) आरक्षण संबंधी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों के प्रारुप का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(10) आवेदन कैसे करें :–

अभ्यर्थी इस विज्ञापन के 'परिशिष्ट–1' में निर्दिष्ट परम्परागत आवेदन पत्र को टंकित अथवा मुद्रित कराकर आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भों को पूर्ण करते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित "सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 249404" को किसी भी माध्यम से (बैरंग माध्यम को छोड़कर) प्रेषित कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय के डाक काउन्टर पर स्वयं भी जमा कर सकते हैं। परन्तु प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 04 जनवरी, 2012 को सायं 06 :00 बजे तक आयोग कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। डाक विभाग द्वारा किये गये किसी विलम्ब के लिए आयोग कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फैक्स द्वारा प्रेषित आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(11) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख अवश्य होने चाहिये अन्यथा अनुमन्य लाभ/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा :–

निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटो स्टेट प्रतियॉ :–

4. हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अंकपत्र/प्रमाण पत्र।
5. स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्षों/सेमेस्टरों की अंक–तालिका एवं डिग्री।
6. (क) आवेदित पद हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु समस्त अंकपत्र एवं डिग्री/प्रमाण पत्र।

(ख) उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विजिटिंग लैक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता का लाभ अनुमन्य नही होगा।

(ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान की पुष्टि हेतु मूल बैंक ड्राफ्ट।

(घ) फार्मेट पर चिपका हुआ एक स्वसत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।

(च) शारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों के आरक्षण के विषय में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के क्रम में विभिन्न श्रेणी के विकलांगों को आरक्षण निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र के आधार पर।

(छ) पूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/उ0 रा0आ0/आश्रित की पुष्टि में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना अपेक्षित होगा।

(ज) वर्गीकृत खेलों से संबन्धित शासनादेश संख्याः 2461/XXX(2)/ 2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 व शासनादेश संख्याः 136/XXX(2)/2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

(झ) किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस0डी0एम0/तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक–2/2002, दिनांक 29 मार्च, 2003 में निर्धारित किया गया है।

(12) शुल्क : प्रत्येक अभ्यर्थी से आवेदन–पत्र के साथ परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹130/–(₹ 100/– परीक्षा शुल्क + ₹ 30/– डाक शुल्क) है। किन्तु उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये ₹ 90/– (₹ 60/– परीक्षा शुल्क + ₹30/– डाक शुल्क) है। उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी, महिला व उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये शुल्क उनकी श्रेणी के आरक्षित वर्ग के समतुल्य है। **शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आहरित एवं निर्गत एकाउण्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा प्रेषित जो "सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को हरिद्वार में देय हो"** स्वीकार किया जायेगा। **अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, तथा पता अवश्य लिखें।** अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(13) अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश

(1) अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) अभ्यर्थियों को हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है।

(3) आवेदन पत्र के साथ 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे जिस पर पद का नाम (विषय सहित) तथा विज्ञापन संख्या अंकित हो तथा पूरा पता लिखा हो, भेजे जाने चाहिए। **(अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर डाक टिकट चस्पा न करें)**

(4) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता। साक्षात्कार तिथि की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

(5) विज्ञापन के फलस्वरूप विषयवार अधिक आवेदन पत्र आने पर स्क्रीनिंग वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

(6) स्क्रीनिंग टेस्ट कराये जाने की दशा में जिला हरिद्वार में स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर ही परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक पद्धति अपनायी जायेगी।

(7) मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता साक्षात्कार के समय जॉच के लिए होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहॉ उन्होंने शिक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के 02 फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(8) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हो, साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(9) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए अतः वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तो के अनुसार अर्ह हैं।

(10) उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के रुप में उसके कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो।

(11) साक्षात्कार परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो जाएं कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(12) किसी अनाचार अथवा कदाचार का दोषी पाये जाने पर आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण आयोग की वेबसाइट—**www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(13) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर भी सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

(14) अभ्यर्थी का यथा–स्थान हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा मानक नियम के अधीन किया जायेगा, जिसका विवरण आयोग की वेब साइट-www.ukpsc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

(15) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के संबन्धित कॉलम में पिन कोड का उल्लेख अवश्य करें।

(16) **लोक सेवा आयोग परिसर में अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन/संचार तंत्र का प्रयोग प्रतिबन्धित है।**

(चन्द्रशेखर भट्ट),
सचिव।